न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 98/2019 दायर दिनांकः 03.07.2019

उनवान

1. शंकरलाल आयु 65 वर्ष पुत्र गोविन्दलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. खेमराज आयु 54 वर्ष पुत्र गोविन्दलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या
3. बिहारीलाल आयु 44 वर्ष पुत्र गोविन्दलाल जाति धाकड़ निवासी नोहल्या
4. मदनलाल आयु 80 वर्ष पुत्र बिशना जाति धाकड निवासी नोहल्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. भंवरसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी झाडोता
2. जीतू आयु 45 वर्ष पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी झाडोता तह0 अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 21/04/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल झाडोता तहसील अटरू में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के अनुसार खाता संख्या 251 के ख0नं0 224 की 1.03 है0, ख0नं0 703 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 1.05 है0 स्थित चली आ रही है। इसी तरह से ग्राम एवं माल झाडोता तह0 अटरू में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के अनुसार खाता संख्या 172 के ख0नं0 704 रकबा 0.60 है0, ख0नं0

959/224 रकबा 1.04 है0 कुल किता 2 रकबा 1.64 है0 स्थित चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि वादीगण क्रम 1 ता 3 एवं उनकी बहिन जगन्नाथी, चन्द्रकला, पंसूरी, ललिताबाई, संतोषबाई एवं माता बसन्तीबाई के दर्ज खाता चली आ रही थी। वादीगण क्रम 1 ता 3 की बहिनों एवं माता ने वादीगण के पक्ष में दिनांक 6.6.2019 को रजिस्टर्ड हक त्याग का पंजीयन करवाया है जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख 18 व पृष्ठ संख्या 28 तािा क्रम संख्या 201900332100261 पर पंजीबद्ध किया है। इसलिये इनको इस वाद में वादीगण नहीं बनाया गया है। वादीगण क्रम 1 ता 3 व वादीगण क्रम 4 आपस में चाचा भतीजे है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ख0नं0 224 रकबा 1.03 है0 तथा वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमि ख0नं0 959/224 रकबा 1.04 है0 भूमि पर वादीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है तथा संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 25.06.2019 को प्रतिवादीगण जेसीबी मशीन लेकर वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि ख0नं0 224 रकबा 1.03 है0 एवं ख0नं0 259/224 रकबा 1.04 है0 भूमि पर आये तथा इस भूमि के दक्षिण दिशा में पूरब से पश्चिम हिस्से पर जेसीबी मशीन से डोली डालने का प्रयास कर कब्जा करने का प्रयत्न किया। वादीगण ने प्रतिवादीगण से उनके अवैध कृत्य को करने से इन्कार किया तो प्रतिवादी लडाई झगडा करने पर आमादा हुये तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को जान से मारने की धमकी दी। वादीगण ग्राम नोहल्या तह0 अटरू जिला बारां के निवासी है। तथा प्रतिवादीगण ग्राम झाडोता तह0 अटरू के निवासी है। वादीगण की भूमि ग्राम झाडोता के माल में स्थित है। प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने के आदि व्यक्ति है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण के अवैध्रा कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है अस्तु वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वाद पत्र में वर्णित भूमि ख0नं0 224 रकबा 1.03 है0 व ख0नं0 959/224 रकबा 1.04 है0 भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो प्रतिवादीगण स्वयं उत्पन्न करें न अपने प्रतिनिधियों से करावे। वाद कारण दिनांक 25.06.2019 को प्रतिवादीगण वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जेशुदा भूमि पर मशीन जेसीबी ले जाकर डोली डालने का प्रयास करने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल झाडोता तह0 अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावेः–

(अ) ग्राम एवं माल झाडोता में स्थित ख0नं0 224 रकबा 1.03 है0 एवं ख0नं0 9959/224 रकबा 1.04 है0 भूमि के दक्षिण दिशा में पूरब से पश्चिम हिस्से पर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण स्वयं या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावें।

3. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 2 में आराजी स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। वाद पत्र की मद नं. 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। वाद पत्र की मद नं. 5 अस्वीकार है। विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। वाद पत्र की मद नं. 6 में वादीगण के ग्राम नोहल्या एवं प्रतिवादीगण ग्राम झाडौता तहसील अटरू के निवासी होना स्वीकार है। शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 10 अस्वीकार है। अनुतोष वादीगण अस्वीकार है।

<u>विशेष आपत्तियां</u>

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 14.07.2019 को थाना मोठपुर में राजीनामा हो चुका है जिसकी वादीगण पालना नहीं कर रहे है और यह झूठा एवं मनघढन्त तथ्यों पर वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। वादीगण पर पूर्व न्याय का सिद्धान्त (रेसजुडिकेटा) लागू होता है इसलिए वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। राजीनामा की फोटो प्रति साथ में संलग्न है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के स्वामित्व की एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर रखा है। प्रतिवादीगण अपने स्वामित्व की आराजी पर ही काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ कभी भी कोई लडाई झगडा नहीं किया तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण के स्वामित्व की आराजी पर कभी भी व्यवधान उत्पन्न नहीं किया। प्रतिवादी क्रम 1 भंवरसिंह का नाम वादीगण ने गलत अंकित किया है प्रतिवादी क्रम 1 का सही नाम लक्ष्मणसिंह है तथा प्रतिवादी क्रम

2 का नाम जीतू वादीगण ने गलत अंकित किया है प्रतिवादी कम 2 का सही नाम जितेन्द्रसिंह है। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

4. अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम झाडोता की जमाबन्दी संवत 2071–74 के आधार पर ख0नं0 224 रकबा 1.03 है0, ख0नं0 703 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 704 रकबा 0.60 है0 व ख0नं0 959/224 रकबा 1.04 है0 भूमि वादीगण के खाते दर्ज है। वादीगण द्वारा थाना मोठपुर में पेश परिवाद दिनांक 01.07.2019 का भी अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा बहस की कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं कर रखा है और यदि कोई कब्जा निकलता है तो प्रतिवादीगण स्वेच्छा से उसे हटाने के लिए तैयार है।

5. अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण आपसी सहमति से निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाये। दोनों पक्षकार राजस्व रिकार्ड के अनुसार कब्जा काश्त के लिए तैयार है।

6. आपसी सहमति के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को निर्देशित किया जाता है कि वह ग्राम झाडोता की विवादित आराजी ख0नं0 224 रकबा 1.03 है0, ख0नं0 703 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 704 रकबा 0.60 है0 व ख0नं0 959/224 रकबा 1.04 है0 का राजस्व टीम बनाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करावे और किसी भी पक्षकार का अवैध कब्जा पाये जाने पर उसे बेदखल करें।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां